

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या-36/2024

रंजू सिंह बनाम् मिंटु कुमार एवं अन्य।

12.09.2025 इस वाद की सुनवाई दिनांक-02.09.2025 को हुई, जिसमें वादी एवं सभी प्रतिवादीगण अनुपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना उपस्थित।

वादी एवं सभी प्रतिवादीगण विचाराधीन वाद में लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। चूँकि यह वाद नगर पंचायत खुशरूपुर के विगत कार्यकाल से संबंधित है तथा वहाँ नगरपालिका आम निर्वाचन-2025 के उपरांत नये बोर्ड का गठन हो चुका है, अतः यह वाद काल-बाधित हो चुका है। साथ ही साथ वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई ठोस आरोप तथा कोई भी Substantive साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कि उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुये, वाद को जारी रखा जा सकें। अतः उक्त सभी कारणों से वादी के दावों/अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

12.09.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

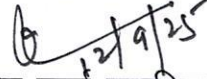
12.09.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-36/2024 3739

पटना, दिनांक-15-9-25

प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, पटना/ श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, पटना को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


विशेष कार्य पदाधिकारी